

समाहरणालय मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-6840 दिनांक-30.10.2013 द्वारा माह नवम्बर-2013 के लिए किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-1682/खाद्य, दिनांक-27.03.2008 एवं पत्रांक-1842/खाद्य दिनांक-08.03.2011 में दिए गए मार्ग दर्शन के आलोक के अनुरूप विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण करना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पचास मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के परिवार को प्रति परिवार 2.250 (दो लीटर दो सौ पचास मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल कूपन के आधार पर किरासन तेल की आपूर्ति की जायी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को प्रतिमाह-750 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक-6840/खाद्य दिनांक-30.10.2013 के द्वारा माह-नवम्बर 2013 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरणी व अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार /वौक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र	प्रखण्ड	2001 के आधार पर जनसंख्या	माह अक्टूबर 13 प्रपत्र IX के आधार पर बी० पी० एल०/ ए०पी० एल० परिवारों की सं	उपावंटित किरासन तेल की मात्र (ली० में) ज०वि०प्र० वौक/ हॉकर	सम्बद्ध वौक किरासन तेल विक्रेता का नाम	विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली० में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	47179	ज०वि०प्र०- 129742.250 हॉकर (6x750) 4500.000 134242.250	1.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज 2.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	123255.000 10987.250 कुल-134242.250
02	पैलाद प्रखण्ड	73129	22231	ज०वि०प्र० 61135.250 हॉकर (6X750) 4500.000 65635.250	1.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	कुल-65635.250
03	नगर परिषद मधेपुरा	45031	11859	ज०वि०प्र० 26682.750 हॉकर (25X750) 18750.00 सरकारी संख्या- 4879.00 50311.750	1.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	कुल-50311.750
04	सिंहेस्वर प्रखण्ड	102086	32894	ज०वि०प्र० 90458.500 हॉकर (6X750) 4500.00 पुलिस अधीक्षक- 850.00 95908.500	मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेस्वर	कुल-95908.500
05	गम्हरिया प्रखण्ड	65125	19455	ज०वि०प्र०- 53501.250	मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेस्वर	कुल-53501.250
06	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28370	ज०वि०प्र० 78017.500	1.मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेस्वर 2.मै० जयबजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड	43291.750 34625.750 कुल-78017.500
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43251	ज०वि०प्र० 118940.250 सरकारी स्थान 50.000 118990.250	1.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज 2.मै० श्यामा स्टोर बिहारगंज	85673.750 33316.500 कुल-118990.250
08	मुरलीगंज नगर पंचायत	22936	6526	ज०वि०प्र०- 14683.500 हॉकर (20X750) 15000.000 29683.500	मै० मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज	कुल-29683.500
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52164	ज०वि०प्र०- 143451.000 हॉकर (1X750) 750.000 144201.000	1.मै० जयबजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड 2.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज	121374.250 22826.750 कुल-144201.000
10	उदाकिशुनगंज प्रखण्ड	136937	37717	ज०वि०प्र०- 103721.750 हॉकर (16X750) 12000.000 115721.750	1.मै० चामुण्डेय ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल-115721.750
11	बिहारगंज प्रखण्ड	101655	28463	ज०वि०प्र०- 78273.250 हॉकर (29X750) 21750.000 100023.250	1.मै० श्यामा स्टोर बिहारगंज	कुल-100023.250
12	न्वालपाड़ा प्रखण्ड	95295	25171	ज०वि०प्र०- 69220.250 हॉकर (28x750) - 3000.000	1.मै० श्यामा स्टोर बिहारगंज	कुल-72220.250

13	आलमनगर प्रखण्ड	129226	38545	ज०वि०प्र०- 105998.750 हॉकर (7X750) -5250.000 111248.750	1 मे० शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	कुल-111248.750
14	चौसा प्रखण्ड	116471	32062	ज०वि०प्र०- 88170.500 हॉकर (2X750)- 1500.000 89670.500	1 मे० शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	कुल-89670.500
15	पुरैबी प्रखण्ड	77792	21625	ज०वि०प्र० - 59468.750 हॉकर (2X750)- 1500.000 60968.750	1 मे० श्यामा स्टेर बिहारीगंज 2 मे. शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	35681.250 25287.500 कुल-60968.750
कुलयोग		1526646	447512	1320244.500		1320244.000

2. इस प्रकार इस जिले में वितरण हेतु उपलब्ध 99 टैंकर (99 X 12000)=1188000+ समायोजित 152424.00 लीटर कुल 1340426.250 लीटर किरासन तेल को प्रखण्डवार/अनुभाजन क्षेत्रवार उपवांटन किया गया है।

3. विभागीय निर्देश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर धानो में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल-850 ली० एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-5514/सा०प्र०, दिनांक-11.11.2009 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में आवंटित-850 ली० किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाए। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थोक किरासन तेल विक्रेता मे० चामुण्डे ऑयल उदाकिशुनगंज एवं मेसर्स शिवशक्ति एजेंसी, सिंहेश्वर को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपवांटित किया जाता है :-

1 अधीक्षक ,मंडल कारा ,मधेपुरा	250 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज
2 सदर अस्पताल	100 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज
3 कोषागार +गार्ड ,मधेपुरा	40 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज
4 बी०एन० मंडल ,वि०वि०मधेपुरा	1000 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज
5 व्यवहार न्यायालय ,मधेपुरा	1000 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज
6 समाहरणालय ,मधेपुरा	
(जिला मुख्यालय स्थित संलग्न कार्यालय सहित)	1639 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज
7 पुलिस अधीक्षक	850 मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज
8 आवा०अनु०जाति वि०,भोकराहा (स्थानान्तरित ,मुरलीगंज)	50 लीटर मे० मोतीलाल रामरूप ,मुरलीगंज
कुल योग- 4929 लीटर	

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल का उद्यव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समाहरणालय,मधेपुरा/अनुमंडल कार्यालय,मधेपुरा /अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास /कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर परिषद,मधेपुरा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मंडल कारा को उपवांटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक,मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा सदर अस्पताल, मधेपुरा हेतु उपवांटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा द्वारा कोषागार+गार्ड हेतु उपवांटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा हेतु उपवांटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल सचिव, बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा व्यवहार न्यायालय,मधेपुरा हेतु उपवांटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश,व्यवहार न्यायालय,मधेपुरा द्वारा सुदुरवर्ती धानों में रोशनी की व्यवस्था एवं आरक्षी बलों के लिए आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय अनु०जाति, आवासीय विद्यालय,मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मुरलीगंज द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जाएगा ।

5. सरकार के अपर सचिव ,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार पटना के पत्रांक-6840/खाद्य,दिनांक-30.10.13 से प्राप्त निर्देश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हाट/बाजारों में स्थानीय आपूर्ति निरीक्षक /पणन पदाधिकारी एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची/संख्या के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जाएगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संधारण किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विगत माह से संबंधित

किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावदन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं करने वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी /आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे ।

6. संगत विभागीय निदेश के अनुपालन में उपावदित किरासन तेल को नियमानुसार शत-प्रतिशत उखव एवं वितरण सुनिश्चित करने के निमित्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

7. सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-1682/खाद्य, दिनांक-27.03.08 एवं पत्रांक-1841/खाद्य, दिनांक-08.03.2011 के अनुपालन में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति /वार्ड स्तरीय निगरानी समिति की देख-रेख में कूपनधारी बी0पी0एल0/अन्तयोदय /ए0पी0ए0 परिवारों से संबंधित माह का किरासन तेल का कूपन प्राप्त कर सरकार द्वारा ग्रामीण /शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप किया जाएगा। कूपनधारियों के लिए आवंटित किरासन तेल का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। दौक किरासन तेल विक्रेता से ज0वि0प्र0वि0 /किरासन तेल टेला भंडर को आपूर्ति किए जानेवाले किरासन तेल एवं ज0वि0प्र0वि0 /टेला भंडर द्वारा उपभोक्ताओं को किये जानेवाले वितरण कार्य का सतत् निरीक्षण से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। विभागीय निदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

8. दिनांक-11.10.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेंसी उदाकिशुगंज को निदेश दिया जाता है कि गैलाइड प्रखंड नगर पश्चिम, मधेपुरा एवं मधेपुरा प्रखंड (आंशिक) के ज0वि0प्र0वि0 /टेला भंडर को स्वयं द्वारा समर्पित सहमति पत्र में वर्णित स्थल पर संबंधित प्र0आ0पदा0की निगरानी एवं अंचल गार्ड की अभिरक्षा में किरासन तेल उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

9. विभागीय निदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय को उपावदित किरासन तेल कुल सचिव बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के आदेशानुसार वितरण किया जाएगा। कुल सचिव संबंधित दौक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर सीधे किरासन तेल प्राप्त करेंगे।

10. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे किरासन तेल का नियमानुसार उखव एवं वितरण अपने सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में करना सुनिश्चित करते हुए संतान्न विहित प्रपत्र में उखव एवं वितरण से संबंधित वांछित प्रतिवेदन माह के अन्त में जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक106!.../आ0, मधेपुरा, दिनांक- 18 नवम्बर 2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/सभी दौक किरासन तेल विक्रेता, मधेपुरा जिला संबंधित सभी संस्थानों को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुगंज को अनुलब्धक सहित सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना /आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल सहरसा /उप निदेशक, खाद्य एवं अरौनिक आपूर्ति, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

18/11/13

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।